भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *9
02/02/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जोशीमठ में भूमि का धंस जाना

9. # **श्री संजय सिंह:**

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगततीन वर्षों के दौरान जोशीमठ में किये गए भारी निर्माण कार्यों एवं तत्संबंधी वर्तमान मानकों का ब्यौरा क्या है, संबंधित मानकों के उल्लंघन एवं उनके संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मिश्रा समिति ने इस क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हॉ, तो सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू किये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूमि के धॅस जाने के कारण अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं एवं कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रखा है।

“जोशीमठ में भूमि का धंस जाना” से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *9, जिसका उत्तर 2 फरवरी, 2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी,राहत का वितरण और आपदा के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वाससंबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करती है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जोशीमठ बहुत पुराने भूस्खलन सामग्री के एक मोटे आवरण पर स्थित है। ग्रे रंग के सिल्टी सैंडी मैट्रिक्स में ग्नाइस के बड़े बोल्डर और बेसिक शिस्ट चट्टानों के टुकड़े देखे गए हैं। इस क्षेत्र में धीरे-धीरे धंसाव देखा जा रहा है। 1976 में श्री महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता गठित एक समिति द्वारा भी इसकी सूचना दी गई थी। उक्त रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि जमीन की स्थिति की भार वहन क्षमता की जांच के बाद ही भारी निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हिमालयी क्षेत्र में अनेक स्थानों का भूविज्ञान अस्थिर और गतिशील है तथा किसी भी बड़ी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है।

हाल ही में, उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के आसपास विभिन्न स्थानों पर भूमि धंसने की घटनाओं की सूचना मिली थी। इस घटना के बाद, राज्य सरकार द्वारा तपोवन-विष्णुगढ़ बिजली परियोजना और हेलोंगमारवाड़ी बायपास रोड सहित पूरे जोशीमठ क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर चौबीसों घंटे स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, जोशीमठ क्षेत्र में भू-धंसाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

भूमि-धंसाव के कारण, कई भवनों में मध्यम से बड़ी क्षति होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार,863 भवनों में दरारें देखी गई हैं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 995 सदस्यों वाले 296 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार नेप्रत्येक प्रभावित परिवार को1,00,000 रुपये औरविस्थापन भत्ते के रूप में 50,000 रुपयेपुनर्वास के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान के आदेश जारी किए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। दिनांक 30.01.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 235 प्रभावित परिवारों को राहत सहायता के रूप में 3.50 करोड़ रूपये वितरित कर दिए गए हैं।राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की है, जिसके लिए प्रति कमरा 950 रुपये प्रतिदिन और भोजन के लिए 450 रुपयेप्रति व्यक्ति दिये जा रहे हैं। इन अस्थायी आवास का लाभ नहीं लेने वाले प्रभावित परिवारों को छह माह तक 5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच और मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं।

*****